ORDER SHEET

THE COURT

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बालाघाट आप0प्रक0क्रमांक 3411 / 2014 शासन विरूद्ध शेख ईशाख

	C (31)	Pleaders where necessary
	यह अभियोग पत्र आरक्षी केन्द कोतवाली द्वारा अभियुक्त शेख इशाख पिता मोहम्मद ईसराईल के विरूद्ध धारा— 323,324,294,506 भा0द0ंस0ं .के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। फार्म क्रमांक—1 में जानकारी संलग्न है, जिसका	3
All I	सत्यापन किया गया है । प्रकरण विचारण हेतु संस्थित किया जाना आदेशित किया जाता है । अतः इस प्रकरण को केन्द्रीय पंजीकरण हेतु रखी गई आपराधिक प्रकरणों की पंजी में पंजीबद्ध किया जावे। प्रकरण में संपत्ति पेश नहीं है। अभियुक्त को फरार बताया गया है।	
f f	विवेचना अधिकारी दीपक यादव उपस्थित हैं। उक्त साक्षी की फरारी साक्ष्य अंकित की गई, जिसने अपने कथन में बताया कि उसने इस प्रकरण के अभियुक्त शेख ईशाख की गिरफ्तारी के संबंध में उसके निवास स्थान पर पता किया, किन्तु उसका कोई पता नहीं चला जिसका फरारी पंचनामा भी तैयार किया गया है तथा फरारी इश्तेहार भी जारी किया गया है । अभियुक्त शेख ईशाख सकूनत से फरार है । उक्त साक्षी के कथन से दर्शित होता है कि अभियुक्त शेख ईशाख की निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है अतः उसे फरार घोषित किया जाता है उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे । प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो तथा लाल स्याही से यह नोट लगाया जावे कि आरोपी फरार है । अतः प्रकरण नष्ट न किया जावे , सुरक्षित रखा जावे ।	A TEL SHEET